HAMIRPUR POLICE

थाना मुस्करा दिनांक-29.09.2021

01 अभियुक्त के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-::-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दे।

जिला बदर किए गए अपराधी का विवरण:-

बालवीर पुत्र श्री रामगोपाल यादव निवासी ग्राम हुसैना थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दिनांक 17/09/2021 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।